न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	रजि0 न0	निर्णय दिनांक
12/19/2022	04—02—2022	2022/39	12—04—2022

1—मोहन पुत्र बत्तन जाति मीणा निवासी ग्राम हल्दीना तहसील मालाखेडा जिला अलवर।
अपीलाण्ट

बनाम

1— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार मालाखेडा दिनांक 23.11.2020 प्रकरण संख्या 258/2020 अन्तर्गत राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

उपस्थितः—

01. श्री दिनेश कुमार यादव —वकील अपीलाण्ट

01. राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मालाखेडा के निर्णय दिनांक 23.11.2020 प्रकरण संख्या 258/2020 जिसके द्वारा संवत 2077 में वाके ग्राम हल्दीना तहसील मालाखेडा की आराजी खसरा न0 2702, रकबा 5.65 है0 किस्म चारागाह में से 0.01 है0 की भूमि पर अतिक्रमण कर ढाबा का निर्माण किये जाने पर बेदखली की कार्यवाही/पैनल्टी कायम किये जाने से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि वाके ग्राम हल्दीना तहसील मालाखेडा की आराजी खसरा न0 2702 रकबा 5.65 है0 किस्म चारागाह में से 0.01 है0 पर मिन अपीलान्ट का कोई अतिक्रमण/कब्जा नही है, पटवारी हल्का ने मौके के खिलाफ बिना कोई पैमायश किये अपीलान्ट के विरूद्व धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत रिपोर्ट पेश की है।

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

पारित किया है। विवादित आराजी पर मिन अपीलान्ट का कोई नाजायज कब्जा नही है। प्रस्तुत जवाब पर तहत अदालत द्वारा दिनाक 06.10.2020 को मौका रिपोर्ट तलब की गयी जिस पर भू0अ0नि0 हल्दीना ने दिनाक 14.10.2020 को मौका निरीक्षण कर मौका पर्चा तैयार किया गया जिसमें मौके पर उक्त ढाबा महेन्द्र पुत्र मदनलाल मीणा निवासी हल्दीना द्वारा चलाया जाना बताया गया तथा उसी का कब्जा होना बताया गया तथा महेन्द्र जो स्वंय मौके पर उपस्थित था उसने भी अपना कब्जा होना व ढाबा चलाना बताया गया। लेकिन तहत अदालत ने मिन अपीलान्ट को दस्तावेजी सबूत व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने व सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया गया और विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानो के विपरीत पीडित पक्षकार को बिना सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो गलत एंव मौके के खिलाफ होने के कारण निरस्तनीय है, निरस्त फरमाया जावे।

वकील अपीलान्ट की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का मनन किया गया। अपील में अपीलान्ट द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया है, कि ग्राम हल्दीना आराजी खसरा न0 2702 रकबा 5.65 है0 किस्म चारागाह में से 0.01 है0 भूमि अपीलान्ट का कोई अतिक्रमण/कब्जा नही है, पटवारी हल्का ने मौके के खिलाफ बिना कोई पैमायश किये अपीलान्ट के विरूद्व धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत रिपोर्ट पेश की है। जिस पर तहत अदालत द्वारा बिना जॉच किये अपीलान्ट के खिलाफ नोटिस जारी कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर मिन अपीलान्ट का कोई नाजायज कब्जा नही है।

हमने न्यायालय की पत्रावली का एवं पत्रावली में संलंग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं चिन्तन मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं भू0अ0नि0 की रिपोर्ट दिनांक 14.10.2020 एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट 06.11.2020 एवं 30.12.2020 का अध्ययन किया। तहत अदालत द्वारा सम्वत 2077 में आराजी खसरा न0 2702 रकबा 5.65 है0 में से 0.01 है0 किस्म चारागाह की भूमि पर ढाबा का निर्माण कर अतिकमण किये जाने पर अतिक्रमी मोहन पुत्र बत्तन मीणा निवासी हल्दीना को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया, जिसकी विधिवत तामील अतिक्रमी के पिता बत्तन को हुयी है। नोटिस के जवाब में तहत अदालत के सम्क्ष जवाब पेश कर अंकित किया है, कि मेरे द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिकमण नही कर रखा है, नोटिस के भार से मुक्त किया जावे। उक्त क्रंम में पूर्व में भी नोटिस प्राप्त हुआ जिसका जवाब पूर्व में दिया था। अतिकमी द्वारा पेश जवाब में वर्णित तथ्यो पर भू0 अभिलेख निरीक्षक वृत हल्दीना से रिपोर्ट प्राप्त की गयी भू0 अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनाक 14.10.2020 को ग्राम हल्दीना के आराजी खसरा न0 2702 किस्म चारागाह पर बने अर्द्व पक्के ढाबे का मौका देखा गया जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा की गयी है, जिसमें अतिकमी मोहन पुत्र बत्तन मीणा के नाम बताया गया है, मौके पर उपस्थित मोतविरान से पूछताछ की गयी। उपस्थितो ने बताया कि यह ढाबा महेन्द्र पुत्र मदन लाल मीणा निवासी हल्दीना द्वारा चलाया जा रहा है, तथा इसी का कब्जा है, महेन्द्र स्वय मौके पर उपस्थित मिला जिसने स्वय का कब्जा होना जाहिर किया है। तथा मौके पर वर्तमान में महेन्द्र ही ढाबें पर कार्य करता हुआ मौजुद मिला। प्रकरण में भू0 अभिलेख निरीक्षक वृत हल्दीना द्वारा प्रस्तुत तथ्यो पर पुनः वस्तुस्थिति रिपोर्ट पटवारी हल्का हल्दीना से तलब की गयी। पटवारी हल्का हल्दीना की रिपोर्ट दिनांक 06.11.2020 के अनुसार आराजी

(9-5-1) [signature]
अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

तलब की गयी। पटवारी हल्का हल्दीना की रिपोर्ट दिनांक 06.11.2020 के अनुसार आराजी खसरा न0 2702 रकबा 5.65 किस्म चारागाह में 0.01 है0 पर एक ढाबा संचालित है, वर्ष 2019–20 में मोहन पुत्र बत्तन ने बनवाया था, जिसकी अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की गयी थी, वर्तमान में उक्त ढाबे का संचालन महेन्द्र पुत्र मदन मीणा द्वारा किया जा रहा है। जिससे प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमी के बारे में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है। पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट अनुसार यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी खसरा न0 2702 रकबा 5.65 किस्म चारागाह में 0.01 है0 पर ढाबा बनाया जाकर अवैध अतिक्रमण किया गया है किन्तु अतिक्रमी के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तहत अदालत तहसीलदार मालाखेडा का आदेश दिनांक 23.11.2020 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार मालाखेडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वास्तविक अतिक्रमी के बारे में पुनः विधिवत जांच कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकॉर्ड के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर की कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वंदना खोरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राजस्थान)